भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2003

01 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"ईवी विनिर्माण इकाइयां"

2003. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण इकाइयों को खोलने के लिए स्थानों/क्षेत्रों को चिह्नित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त इकाइयों की स्थापना से कितनी नौकरियों का सृजन होने का लक्ष्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग) : जी नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाई की स्थापना नहीं करता। किंतु, देश में इलेक्ट्रिक और बैटरी-चालित पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में अखिल भारतीय आधार पर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम शुरू की ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो और वाहनों के उत्सर्जन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। वर्तमान में, 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से फेम इंडिया स्कीम, चरण-।। को कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-:

i. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों में कमी लाने के लिए उन्नत रसायन सेल के विनिर्माण हेतु 12 मई,2021 को उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को अनुमोदित किया। बैटरी की कीमतों में कमी आने से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी

आएगी। अनुमान है कि स्कीम की अवधि के दौरान 2.70 लाख (प्रत्यक्ष:अप्रत्यक्ष :: 1:4) रोजगार का सृजन होगा।

ii. इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम में शामिल हैं। इस स्कीम को पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से दिनांक 15 सितंबर 2021 को अनुमोदित किया गया था। स्कीम की अवधि के दौरान 7.5 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने में सहायता मिलेगी।

iii. इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 12% से घटाकर 5% और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

***